162 ज/11

संख्या-2058/9-9-13-~~16(2)/93टीसी~~

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 01 जनवरी, 2014 ~~दिसम्बर, 2013~~

विषय- स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अंतरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि सम्बंधित निकायों को हस्तांतरित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-क.नि.-5-1149/11-13-312(268)/01 दिनांक 13.09.13,जिसकी प्रति समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को भी प्रेषित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(स) में यह व्यवस्था दी गयी कि "वित्त विभाग द्वारा डेडीकेटेड अरबन ट्रान्सपोर्ट फण्ड हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान मे अलग से प्रदर्शित करते हुए करायी जायेगी तथा नगर विकास विभाग को देय धनराशि अलग से प्रदर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में करायी जायेगी। इसी प्रकार आवास विभाग को देय धनराशि की व्यवस्था आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान में करायी जायेगी।"

3. उक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश मे निर्धारित व्यवस्थानुसार स्वीकृतियॉ वर्तमान वित्तीय वर्ष में नही जारी की जानी है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में कतिपय जनपदों में भ्रम की स्थिति होने के कारण वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली की धनराशि को सम्बंधित निकायों, विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद को हस्तांतरित नही किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त मद की धनराशि सम्बंधितों को उपलब्ध न कराये जाने के कारण बहुत से विकास कार्य अवरूद्व हो रहे है। कृपया वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली की धनराशि को सम्बंधित नागर निकायों, विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद को पूर्व निर्धारित प्रकियानुसार तत्काल हस्तांतरित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

go-y

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 इलाहाबाद,/शिविर कार्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लाखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
7. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0(द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ)।
8. गार्ड फाइल/वेब साइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
उप सचिव।

go-y